समूह कंपनियों, सामग्री लेनदारों और सामग्री संबंधी मुकदमों की पहचान पर नीति

क. परिचय

यह नीति समूह कंपनियों की पहचान के लिए महत्वपूर्णता को परिभाषित करने, एमएसटीसी लिमिटेड ("कंपनी") के संबंध में लेनदारों की बकाया देयता और बकाया राशि को परिभाषित करने के लिए तैयार की गई है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाएं जारी करना) विनियम, 2018 की अनुसूची VI के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित ("सेबी आईसीडीआर विनियम")।

ख. आवेदन क्षमता और उद्देश्य

इस नीति को समूह की कंपनियों, सामग्री लेनदारों और सामग्री संबंधी मुकदमों ("नीति") की पहचान पर नीति कहा जाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल("बोर्ड") ने 11 जनवरी, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में इस नीति पर चर्चा की और इसे मंजूरी दी। यह नीति बोर्ड द्वारा इस नीति के अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगी।

कंपनी ने इस नीति की पहचान और निर्धारण के लिए अपनाया है : (i) सामग्री लेनदारी (ii) सामग्री संबंधी मुकदमों और (iii) समूह कंपनियां सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों का अनुसरण करती है, जिनका विवरण प्रस्ताव दस्तावेजों में प्रकट किया जाएगा।

"प्रस्ताव दस्तावेज" का अर्थ है, रेड हेरिंग विवरणी का मसौदा, रेड हेरिंग विवरणिका और विवरणिका कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पश्चिम बंगाल, कोलकाता ("आरओसी") और स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचबद्ध है, लागू होने का प्रस्ताव है, के साथ अपने इक्विटी शेयर्स के प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के संबंध में दायर किया जाना चाहिए।

इस नीति में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए अन्य सभी पूंजीगत शर्तों के प्रस्ताव दस्तावेजों में ऐसे शब्दों के समान अर्थ होंगे।

इस नीति में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) एकवचन को निरूपित करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे।

(ii) "शामिल" या "सहित" शब्दों के संदर्भ को सीमा के बिना माना जाएगा।

ग. सामग्री समूह की कंपनियों, सामग्री लेनदारों और सामग्री संबंधी मुकदमो की पहचान के लिए नीति निर्धारण

सामग्री समूह की कंपनियां, सामग्री लेनदारों और सामग्री मुकदमें की पहचान के संबंध में नीति निम्नानुसार होगी:

'सामग्री' समूह कंपनियों की पहचान

आवश्यकता :

सेबी आइसीडीआर विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, समूह कंपनियों में ऐसी कंपनियों को शामिल करें, जो लागू लेखांकन मानकों के तहत शामिल है, (यानी भारतीय लेखा मानक 24 (इंड एस 24) जैसा कि लागू हो) तीन (3) वित्तीय वर्ष और किसी भी बाद की अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार प्रस्ताव की तारीख से पहले, जो इस तरह के प्रस्तावदस्तावेज में शामिल हैं और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मानी गई सामग्री के रूप में किसी भी अन्य कंपनियों में भी शामिल है।

महत्वपूर्णता पर नीति

एक कंपनी को महत्वपूर्ण माना जाएगा और समूह कंपनी के रूप में प्रकटीकरण किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी में महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन, कंपनी और इसके राजस्व और लाभप्रदत्ता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकती है। अन्य कंपनियों के अलावा, जो कंपनी के संबंधित पक्षों के हिस्से के रूप में लागू लेखा मानकों(इंडएस 24) के अनुसार नवीनतम लेखा परीक्षित और बहाल समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के प्रस्ताव दस्तावेजों में शामिल है।

संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्ताव दस्तावेजों में प्रकटीकरण के उद्देश्य से सहायक कंपनियों को समूह की कंपनी नहीं माना जाएगा।

सामग्री लेनदारों की पहचान

आवश्यकता :

सेबी आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी लेनदारों को बकाया राशि के लिए प्रस्ताव दस्तावेजों में प्रासंगिक प्रकटीकरण करेगी:

(i) बोर्ड द्वारा परिभाषित महत्वपूर्णता पर नीति के आधार पर और जैसा कि प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण किया गया है, ऐसे लेनदारों के लिए प्रकटीकरण;

(ii) छोटे स्तर के उपक्रमों और अन्य लेनदारों को बकाया राशि पर समेकित जानकारी, अलग से मामलों की संख्या और शामिल राशि का विवरण देना; तथा

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अनुसार लेनदारों को बकाया राशि के बारे में पूरा विवरण कंपनी के वेबपेज पर प्रस्ताव में एक वेब लिंक के साथ प्रकट किया जाएगा।

महत्वपूर्णता पर नीति

ऊपर दिए गए बिन्दु (i) के संदर्भ में, सामग्री लेनदारों की पहचान के लिए, कंपनी के एक लेनदार को प्रस्ताव दस्तावेजों में प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा, अगर प्रस्ताव दस्तावेजों में शामिल अंतिम पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार कुल देयताएं ऐसे लेनदार के कारण राशि कुल व्यापार के 5% से अधिक हों।

लेनदारों और एसएसआई और एमएसएमई के संबंध के प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण

(i) उपर्युक्त नीति के आधार पर महत्वपूर्ण रूप में पहचाने गए लेनदारों के लिए, इस तरह के सामग्री लेनदारों को बकाया राशि की जानकारी की प्रस्ताव दस्तावेजों के साथ सकल आधार पर लेनदारों की संख्या और राशि के विवरण बताए जाएंगे, प्रस्ताव दस्तावेज में शामिल आज तक के नवीनतम दोहराए गए समेकित वित्तीय विवरण है।

(ii) लघु स्तर के उपक्रमों("एसएसआई") या सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों("एमएसएमई") के बकायों के लिए प्रकटीकरण एसएसआई या एमएसएमई के रूप में लेनदारों की स्थिति के बारे में कंपनी के साथ उपलब्ध जानकारी पर आधारित होगा।जैसा कि सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 यथा संशोधित की धारा 2 के तहत परिभाषित किया गया है, इस तरह के पहचान किए गए एसएसआई या एसएसएमई लेनदारों के लिए जानकारी निम्नलिखित तरीके से प्रस्ताव दस्तावेजों में प्रदान की जाएगी;

क) ऐसे लेनदारों के कारण कुल राशि; तथा
ख) ऐसे लेनदारों की कुल संख्या

प्रस्ताव दस्तावेज में शामिल नवीनतम दोहराए गए समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख के रूप में है।

(iii) कंपनी के सभी लेनदारों के संबंध में, लेनदारों को बकाया देय राशि के बारे में समेकित जानकारी की पेशकश की जाएगी, इस प्रस्ताव दस्तावेज में एक समग्र आधार पर शामिल लेनदारों की संख्या और राशि शामिल हैं, जो प्रस्ताव दस्तावेज में नवीनतम समेकित वित्तीय विवरण की तारीख के अनुसार है।

कंपनी समय-समय पर लागू कानून के अनुसार आवश्यक लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल के समक्ष प्रासंगिक प्रकटीकरण करेगी।

महत्वपूर्ण मुकदमों की पहचान

आवश्यकता :

सेबी आईसीडीआर विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों, निदेशकों और समूह कंपनियों से संबंधित सभी मुकदमों का प्रकटीकरण करेगी;

(i) सभी आपराधिक कार्यवाही;
(ii) वैधानिक/नियामक अधिकारियों द्वारा सभी कार्य;

(iii) कराधान –प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित दावों के बारे में अलग-अलग प्रकटीकरण, समेकित तरीके से मामलों की संख्या और कुल राशि का विवरण; तथा

(iv) अन्य लंबित मुकदमें – बोर्ड द्वारा परिभाषित महत्वपूर्णता और प्रस्ताव दस्तावेजों के प्रकटीकरण की नीति के अनुसार

चूंकि कंपनी के प्रमोटर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करता है, सेबी/आईसीडीआर विनियमों के अनुसार प्रमोटरों को शामिल करनेवाले लंबित मुकदमों के बारे में प्रकटीकरण दस्तावेजों में प्रदान नहीं किए जाएंगे।

महत्वपूर्णता पर नीति :

उपर्युक्त बिंदु (i) से (iii) के ऊपर उल्लिखित मुकदमों के अलावा, कंपनी, उसके निदेशकों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों और समूह की कंपनियों से जुड़े किसी अन्य लंबित मुकदमों को प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण के उद्देश्य से "महत्वपूर्ण" माना जाएगा; यदि :-

(क) किसी भी ऐसे लंबित मुकदमे में कंपनी, उसके सहायक, संयुक्त उद्यम, निदेशक और समूह कंपनियों के द्वारा या उसके खिलाफ किए गए दावे की मौद्रिक राशि मार्च 31, 2018 के अनुसार कंपनी के निवल मूल्य के 1% से अधिक न हो, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण के तहत प्रदान किया गया है; या

(ख) जहां एक मामले के निर्णय समान मामलों के निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है, भले ही एक व्यक्ति मुकदमें में शामिल राशि मार्च 31, 2018 के अनुसार कंपनी के निवब मूल्य के 1% से अधिक न हो, जैसा कि नीचे दिए गए दोहराए समेकित वित्तीय विवरण में है।

(ग) ऐसे किसी भी मुकदमें के प्रतिकूल परिणाम, जो कंपनी के व्यवसाय, संभावनाओं, संचालन, वित्तीय स्थिति या प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, भले ही इस तरह के मुकदमें में शामिल राशि कुछ भी हो।

(घ) संशोधन

बोर्ड (इसकी विधिवत गठित समितियां जहां भी अनुमन्य हो), इस नीति के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने , किसी भी प्रावधान को नए प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित करने या इस नीति को पूरी तरह से एक नई नीति के साथ बदलने की शक्ति रखता है, यह नीति समय-समय पर आवश्यक/नियामक संशोधन के अनुसार समीक्षा/परिवर्तनों के अधीन हो सकती है।